ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. No.- 83-84

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009

विनय कुमार शुक्ल

सहायक प्राध्यापक– इन्द्रकाली रामजी सिंह बी.एड. कॉलेज, कोयलादेवा, गोपालगंज (बिहार), भारत

Received-14.04.2023, Revised-18.04.2023, Accepted-23.04.2023 E-mail: vksirs2017@gmail.com

***सारांशः** "भारत देश में 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बालकों विशेषकर कमजोर वर्ग के लिए सरकार द्वारा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया इसके साथ ही संविधान के अनु.51(क) में एक अनु. जोड़कर बच्चो को शिक्षा देना माता एवं पिता का मौलिक कर्तव्य बना दिया गया यह जरुर ध्यान रखना है कि 4 अगस्त 2009 को भारतीय संसद द्वारा बालकों हेतु मुत एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार विधेयक पारित किया गया।*

कुंजीभूत शब्द– निशुल्क शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, गुणवता, तनाव, दशक, गंभीरता, केंद्रीय विधान सभा, समर्थक, व्यवस्था।

शिक्षा का अधिकार कानून बच्चो को निशुल्क एवं अनिवार्य बुनियादी शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है इसमें गुणवता पूर्ण शिक्षा की बात भी सम्मिलित है यह बालक हेतु शिक्षा की मांग करता है जो भय एवं तनाव से मुत हो। इस कारण का लागू होना निसंदेह एवं एक स्वागत योग्य तनाव कदम है जो पिछले एक दशक से सरकारे विद्यालयी शिक्षा में सुधार करने के प्रति गंभीरता का प्रदर्शन कर रही है। पिछले 113 वर्षो में इस दिशा में दिए गए प्रयासों पर थोडा प्रकाश डाला जाए की निम्न तथ्य सामने आते है।

(1) 18 मार्च 1910 को गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा अनिवार्य शिक्षा के लिए केतीय धरा सभा में एक प्रस्ताव पेश किया गया जो पुनः 16 मार्च 1911 को गोखले ने इसी प्रस्ताव को केंद्रीय विधान सभा में विधेयक पेश किया गया। पंडित मदन मोहन मालवीय एवं मोहम्मद अली जिन्ना भी इस समय केंद्रीय धारा सभा के सदस्य थे। उन्होंने गोखले द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन किया लेकिन देशी रियासतों ने सरकार के पक्ष में समर्थन किया और विधेयक 13 मतों से में विरुद्ध 38 मतों से गिर गया, अतः गोखले द्वारा प्रस्तावित यह विधेयक केंद्रीय धारा सभा में पास नही हो सका, परन्तु उनके द्वारा प्रस्तावित विधेयक से ब्रिटिश सरकार में हलचल मच गई।

(2) राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी द्वारा भी देश में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के समर्थक थे, अपनी पत्रिका का 'नव जीवन' में लिखे एक लेख में कहा था कि "मै भारत के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य ग्रामीण शिक्षा के सिद्धान्त का दृण समर्थक हूँ"। उनके अनुसार इस उद्देश्य की प्ररित हेतु बच्चो को दी जाने वाली शिक्षा ऐसी होनी चाहिये जिससे बच्चो का शारीरिक, मानसिक एवं अध्यात्मिक विकास हो सके। 1937 में गाँधी जी ने डॉ0 जाकिर हुसैन के साथ मिलकर नयी शिक्षा व्यवस्था की बात की इसे वर्धा शिक्षा योजना बुनियादी तालीम, बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा आदि नामो से जाना जाता है। इसके अंतर्गत 7 से 14 वर्ष के सभी बच्चे अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी है, इन्होने ऐसी शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया कि शिक्षा आधार भूत शिक्षण एवं उद्योग पर आधारित हो।

(3) संविधान में नीति निदेशक तत्वों में शिक्षा के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई।

(4) दौलत सिंह कोठारी ने कोठारी आयोग में बालकों के समान शिक्षा की बात की गई 1966 में।

(5) 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा निति के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को सर्वसक्षम बनाने हेतु एक कि.मी. दूरी के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय स्थापित और 3 कि.मी. के अंतर्गत उच्य प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने की कही, विद्यालयों की दशा सुधारने हेतु "ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड" को लेकर प्रयोग की योजना लागू की गई।

(6) भारत वर्ष में बाल शिक्षा के क्षेत्र में नई अवधारणाओं का जन्म 1992.1993 में हुआ जब भारत में संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार चार्टर पर हस्ताक्षर किया– इसकी तदोपरांत भारत में शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करने की सहमति मिल गई।

(7) 1993 में उच्यतम– न्यायलय ने उन्नीकृष्णन बनाम आंध्रप्रदेश के मामले में कहा गया शिक्षा का अधिकार, भारतीय संविधान के अध्याय तीन में अनु. 2 में उल्लिखित जीवन जीने के अधिकार का ही एक भाग है।

(8) 1993 में सर्वोच्य– न्यायलय के फैसले के बाद 1997 में संविधान के 86 वे संविधान संसोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार के प्रभावी बनाने हेतु एवं सार्थक कदम उठाया गया।

(9) दिसम्बर 2002 म अनु. 2 भाग– 3 के माध्यम से 86 वे संविधान संसोधन विधेयक में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चो को मुत एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया।

(10) अक्टूबर 2003 में उपर्युक्त अनु. में वर्णित कानून मसलन बच्चो के लिए मुत औ अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2003 का पहला मसौदा तैयार कर वेवसाईट पर डाला गया आमलोगों से इस पर सुझाव माँगा गया।

(11) 2004 में सुझाव प्राप्त करने के उपरांत मुत एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2004 का संसोधित रूप तैयार किया गया।

(12) जून 2005 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की समिति द्वारा शिक्षा के अधिकार विधेयक का एक प्रारूप तैयार किया और उसे भारत के M.H.R.D. मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौपा गया।

(13) 14 जुलाई 2006 में वित्त समिति और योजना आयोग ने इस विधेयक को राज्य सभा में प्रस्तुत किया और काफी वहस के बाद 25 दिसम्बर 2008 को मंजूरी प्राप्त हुई।

(14) 4 अगस्त 2009 को संसद ने रस ऐतिहासिक एवं समाज सुधारक विधेयक को कानून का रूप प्रदान किया।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम– शिक्षा का अधिकार कानून 2009 सात अध्याय एवं एक अनुसूची में वर्णित है, जिनमे निम्न प्रावधान किये गए है।

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

(1) 6 से 14 वर्ष तक के हर बालक को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने की अधिकार पुष्टि हुई।
(2) बच्चो को शिक्षा देना माता–पिता का मौलिक कर्तव्य बना दिया गया अतः अब अभिभावको की यह जिम्मेदारी होगी की वह बालको को स्कूल भेजे।
(3) छात्रो के लिए एक किलोमीटर की दुरी में विद्यालय स्थापित करना होगा।
(4) सभी निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत प्रवेश प्रारंभ के समय सीटें आरक्षित करनी होगी।
(5) बालको से किसी भी प्रकार का केपिटैशन शुल्क नही लिया जायेगा और स्क्रीनिंग टेस्ट भी नही होगा।
(6) छात्रो को न अगली कक्षा में जाने से रोका जायेगा न विद्यालय से निष्कर्षित किया जायेगा न उनके लिए बोर्ड परीक्षा उतीर्ण करना आवश्यक होगा।
(7) प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक ही अध्यापक कार्य कर सकेंगे और जो शिक्षक अप्रशिक्षित है उनको प्रशिक्षण दिया जाएगी।
(8) कोई भी विद्यालय बालकों के प्रवेश हेतु मन नही करेगा।
(9) 35 बच्चों पर एक प्राथमिक शिक्षक एवं 40 बच्चो पर उच्य प्राथमिक में एक शिक्षक होगा।
(10) मदबुद्धि एवं दिव्यांग बालको हेतु विशेष प्रशिक्षित शिक्षक होगा।
(11) शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना, चुनावकार्य, आपदा राहत कार्य के आलावा कही नही लगाई जायेगी।
(12) शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने में जो भी खर्च आएगा उसे केंद्र या राज्य सरकार मिलकर निर्वहन करेगी।
(13) इस अधिनियम के तहत स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए उसकी उचित आयु में संबंधित कक्षा में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित करना।
(14) प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय समिति का गठन होगा, जिसमे 75 प्रतिशत या 3/4 संरक्षक तथा 50 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी होगी।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य– भारत सहित दुनिया के 135 देशों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के साथ शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, इस अधिनियम के द्वारा बालकों में उनकी स्वतंत्रता एवं शशक्तिकरण के लिए प्रोत्साहित करना है तथा गरीब अशिक्षित बच्चों को बेसिक एवं मूलभूल शिक्षा प्रदान करना है।

गरीब एवं पिछड़ें बच्चों को निशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा देकर उनके विकास हेतु सकरात्मक प्रभाव डालना है, बालको के उचित आयु में कक्षा में प्रवेश साथ ही इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य है।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम का लाभ और विशेषताए–

(1) शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 6 से 14 वर्ष के बच्चो को मुत प्राथमिक शिक्षा दी जाती है।
(2) शिक्षा के अधिकार का पहला डॉक्यूमेंट 1990 में राममूर्ति कमिटी में था।
(3) भारत 135 देशो की सूची में शामिल हुआ जहा शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है।
(4) शिक्षा के अधिकार अधिनियम लागू होने से शिक्षा में गुणवत्ता के लिए बेसिक पैरामीटर स्थापित किये गए।
(5) प्राथमिक शिक्षा पूरा करने वाले छात्र को एक प्रमाण–पत्र भी दिया जाये, विद्यालय का बुनियादी ढाचा 3 वर्षो के भीतर सुधार जायेगा अन्यथा उसकी मान्यता रद कर दी जाएगी।
(6) दिव्यांग बच्चो की उम्र 18 वर्ष कर दी गई है, साथ ही राज्य एवं केंद्र सरकारे अलग से प्रावधान बना सकेंगे।

शिक्षा का अधिकार– लक्ष्य पूर्ति पर विचार– बच्चे देश का भविष्य होते है, उन्ही पर भविष्य में देश की उन्नति निर्भर करती है। उनको पूर्ण रूप से शिक्षित करना बालक ही नही सरकारे का कर्तव्य है, इसके पालन हेतु सरकारे कई नियम बनती है उन्ही में से एक है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 वर्ष से 14 वर्ष दिव्यांग के लिए 18 वर्ष के बच्चो की मुत एवं अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2010 को केंद्र सरकार ने दिशा का अधिकार अधिनियम बनाया, इसके तहत यूपीए सरकार की एक उपलब्धि कहा जा सकता है। उच्चतम न्यायलय ने इस पर अपनी सहमति प्रदान की इसे सवैधनिक अधिकार प्रदान किया। यह कानून निजी स्कूल पर भी लागू होगा बालको के विकास हेतु सभी मूलभूत आवश्यकता पर जोर दिया जायेगा।

निष्कर्ष– सक्षेप में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होना देश के लिए एवं शिक्षा व्यवस्था के लिए एक प्रभावी कदम है। यह कानून यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बालक गुणवता पूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करे। जिससे शिक्षा को नई दिशा प्रदान की जा सके। इसको परिवार एवं राज्य एवं केंद्र की सहायता से पूरा किया जा सकता है। हमे देश के नौनिहालों और उनके शैक्षिक वातावरण को एक प्रभावी दिशा की ओर बढ़ाने हेतु व्यापक बदलाव की जरुरत है। इस प्रकार हमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम जन–जन तक पहुँचाने हेतु एक अभियान एवं जरुरी सुधार की आवश्यकता भी होगी। यह सर्वविदित है कि इस पर जितना कार्य संभावित था उतना कार्य नही हो पाया जिसका कारण जागरूकता की कमी है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. शिक्षा का अधिकार अधिनियम केंद्र सरकार का गजट, (2009).
2. जैन, डॉ विनोद कुमार – शिक्षा का अधिकार अधिनियम एवं उसकी उद्देश्य संदर्भित लेख (2010).
3. त्यागी, गुरु सरन दास – आधुनिक भारत एवं शिक्षा विनोद पुस्तक मंदिर 2010 (पृष्ट संख्याः–743.789).
4. पचौरी, प्रो. गिरीश – शिक्षा के प्रमुख आधार 2016 5.–54 R.L. बुक डिपो, मेरठ।

*****